

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

संचिका संख्या-17/विविध 2-12/2014 - 116 (17) /स्वास्थ्य/डा० उषा शर्मा,
प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष, पैथोलॉजी विभाग, सम्प्रति कार्यकारी प्राचार्य, श्री कृष्ण चिकित्सा
महाविद्यालय, मुजफ्फरपुर को वित्त विभाग के अधिसूचना संख्या-9262/वि० दिनांक 01.10.2011
द्वारा अधिसूचित बिहार कोषागार संहिता-2011 के नियम-84 के अन्तर्गत उक्त संस्था के निकासी
एवं व्ययन पदाधिकारी की शक्ति प्रदत्त की जाती है। यह व्यवस्था नियमित प्राचार्य के पदस्थापित
होने पर स्वतः समाप्त हो जायगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(सुरेश कुमार शर्मा)

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक :-17/विविध 2-12/2014 - 116 (17)/पटना, दिनांक 20/3/15

प्रतिलिपि :-महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना/अवर सचिव, सचिवालय मुद्रणालय
(प्रशाखा), वित्त विभाग, बिहार, पटना/अवर सचिव, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग,
बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना-07 को सूचनार्थ एवं बिहार गजट
के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- कोषागार पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :-प्रमण्डलीय आयुक्त, मुजफ्फरपुर/जिला पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं
आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- माननीय मंत्री स्वास्थ्य के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य के प्रधान आप्त
सचिव/सचिव, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/अपर सचिव, स्वास्थ्य के निजी
सहायक/संयुक्त सचिव (श्री शर्मा)/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएं बिहार,
पटना/प्रशाखा पदाधिकारी-01, एवं 17 को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :-डा० उषा शर्मा, प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष, पैथोलॉजी विभाग, श्री कृष्ण चिकित्सा
महाविद्यालय, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव।